प्रपत्र –3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

(वन संरक्षक / व.म.अ का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन)

1.	परियोजना का नाम	765 के.व्ही.डबल सर्किट झारसुगुडा (सुन्दरगढ)–रायपुर विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण		
2.	आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	ओडिशा जेनेरश्न फेज–II ट्रांसमिशन लिमिटेड		
3.	गैर वनिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग की गई है।	विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण		
4.	आवेदत क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमण्डल	परियोजना क्षेत्र
		बिलासपुर	बिलासपुर	राजस्व वन क्षेत्र खसरा संख्या–8 रकबा–4.330 हे.
	राजस्व वन भूमि	ग्राम	खसरा क्रं	प्रभावित रकबा हे0
		बोहारडीह	91	0.242
		लोहर्सी	138 / 1	0.495
			138 / 3	1.184
			2839 / 1	0.170
			3 / 1	0.017
			3 / 1न	0.838
			3 / 1प	0.472
			3 / 1ब	0.914
			योगः	**4.330**
5.	राजस्व वन क्षेत्र	4.330 हेक्टेयर		
6.	आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित वन क्षेत्र वन IV B गुणवत्ता वर्ग का मिश्रित प्रजाति का वन है जिसका औसत घनत्व 0.3 है		
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित वन क्षेत्र मिश्रित वन क्षेत्र जिसमें पलाश,बबूल,नीम,सेमल,खम्हार आदि मौजुद है। वृक्षौ की गणना संलग्न है। पेज न.....		
		प्रजाति	कुल वृक्षों की संख्या	
		मिश्रित	88 / पातन हेतु 32	
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरूत्पादन की स्थिति	न्यूनतम है।		

9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग (पी.डब्ल्यू.डी / वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप में मानचित्र में भी अंकित करें)	विद्युत पारेषण लाईन हेतु आवशयकता नहीं है।
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी (Ecological Sensitive) क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, 'अभ्यारण्य,बायोस्फीयर रिजर्व,प्राकृतिक झील / वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र,धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं। यदि हां,तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	नहीं है। वचन पत्र संलग्न है। पेज न.
11.	आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेषकर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें.)	परियजना विद्युत पारेषण लाईन से संबधित हेतु यह आवश्यकता नहीं है।
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं / यदि हां तो संक्षिप्त विवरण देवें।	अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी / विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि न्यूनतम है अतः गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है ।

निरीक्षण स्थान : वनखंड (ऑरेंज एरिया) लोहर्सी एवं कोनारडीह

दिनांक : 11/3/2017

वनमं.अ. बिलासपुर वन मण्डल

वनमण्डलधिकारी

बिलासपुर वनमण्डल

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान – 765 के.व्ही. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ) रायपुर विद्युत पारेषण लाईन

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र – छत्तीसगढ़

(ii) जिला – बिलासपुर

(iii) वन प्रभाग – बिलासपुर

(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)– 4.330 हें.

(v) वन की कानूनी स्थिति

राजस्व वन क्षेत्र

(vi) हरियाली का घनत्व

हरियाली का घनत्व 0.3 है.।

(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ. आर.एल.–2मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी.भी संलग्न की जाए।

प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु परिधिवार,प्रजातिवार,वृक्षों की परिगणना संलग्न है।

(viii) भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

आवेदित वन भूमि मृदा वग्रीकरण कठोर लाल मिटटी है, क्षेत्र की भौगौलिक संरचना समतल है तथा भू–क्षरण से संवेदनशील नहीं है।

(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।

क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण बिलासपुर वनमण्डल के अन्तर्गत नांरगी वन क्षेत्र में लिया गया है।

(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उघान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है।

(यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियॉ अनुबंधित की जाए)

आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उघान, वन्यजीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि के अन्तर्गत का वन क्षेत्र नहीं है।

(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विषिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हॉ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।

प्रजाति			स्थिति		
क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट
1.	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

आवेदित क्षेत्र तथा उसके आस–पास में सरंक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। प्रमाण पत्र (संलग्न है।)

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवष्यकता परियोजना के अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।

बिलासपुर वनमण्डल के अंतर्गत 765 के.व्हीं. डबल सर्किट झारसुगुडा(सुन्दरगढ) –रायपुर विघुत पारेषण लाईन निर्माण के लिए प्रभावित राजस्व वन भूमि 4.330 हेक्टेयर. अपरिहार्य और न्यूनतम है। विकल्पों पर तुलनात्मक विवरण (संलग्न है।)

9. क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है। (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लघंन संबंधी कार्य चल रहें है।

कोई उल्लघंन का कार्य नहीं किया गया है।.

10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा

बिलासपुर वनमण्डल के अंतर्गत नारंगी वन क्षेत्र में 144.181 हे0 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम लिया गया है।

संलग्न है।

(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।

प्रतिपूरक वनीकरण नारंगी वन क्षेत्र में निम्नानुसार लिया गया है।

क्रं	वन परिक्षेत्र	नांरगी वन खण्ड का नाम	कुल रकबा (हे0)	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित रकबा (हे0)
1	रतनपुर.	सीष(अ)	13.990	8.000
		सीष(ब)	10.138	10.138
		जाजीराडीह	44.373	23.000
		आमामुडा	49.750	20.000
		कलमीटार	40.043	40.043
		घासीपुर	60.377	43.000
		योग	**218.671**	**144.181**

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

संलग्न है।.

(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

दस वर्षीय सिचिंत प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष. 2017–18 से 2026–27 तक कुल रूपये 7,86,74,324.00 का व्यय अनुमानित है। योजनान्तर्गत मुख्यतः सागौन प्रंजातियों के पौधे रोपित किये जावेंगें। कार्य वन विभाग द्वारा किया वनपरिक्षेत्र अधिकारी रतनपुर (सामान्य) के द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

7,86,74,324.00 / –.संलग्न है।.

(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए।)

संलग्न है।

11. उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 एवं 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्षाते हुए (संलग्न करें।)

उप वन संरक्षक बिलासपुर वनमण्डल का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक..... संलग्न है।

12. विभाग / जिला प्रोफाईल

(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

बिलासपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्र = 6376.760 वर्ग कि.मी. है।

(ii) जिले का वन क्षेत्र

बिलासपुर जिले का वन क्षेत्र = 783.362 वर्ग कि.मी. है।

(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।

संख्याः– रकबाः–963.629 हेक्टेयर।

(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।

2604.110 हेक्टेयरं

(ख) वनेत्तर भूमि पर।

202.00 हेक्टेयर

(v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगतिः

(क) वन भूमि – 2604.00 हेक्टेयर

(ख) वनेत्तर भूमि पर – 202.00 हेक्टेयर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सबंधं में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

अनुशंसा की जाती है

दिनांकः– 11-03-2017

स्थान बिलासपुर

हस्ताक्षर

व०मं०अ० बिलासपुर वन मण्डल

(सरकारी मोहर)